



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 24, 1978/भाद्र 2, 1900
No. 397] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 24, 1978/BHADRA 2, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 1978

का. आ. 516(अ).—केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना सं. 4/3/73-वक्फ तारीख 30 दिसम्बर, 1975 जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 72 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी के साथ पीठित वक्फ-अधिनियम, 1954 (1954 का 29) की धारा 67 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब वक्फ नियम, 1964 में और संशोधन करने को एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम पंजाब वक्फ (संशोधन) नियम, 1978 है।
(2) ये राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. पंजाब वक्फ नियम, 1964 के नियम 8 के उप-नियम (2) के खंड (3) का लोप कर दिया जाएगा।

[एफ. 14/8/74-वक्फ]

एस. हरिहर अय्यर, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August

S.O. 516 (E).—In exercise of the powers conferred by section 67 of the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), read with the notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice & Company Affairs (Legislative Department) No. 4/3/73-Wakf, dated the 30th December, 1975, issued under sub-section (1) of section 72 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Punjab Wakf Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the Punjab Wakf (Amendment) Rules, 1978.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In rule 8 of the Punjab Wakf Rules, 1964, clause (iii) of sub-rule (2) shall be omitted.

[F. 14/8/74-Wakf]

S. HARIHARA IYER, Secy.